सं0–861/2018–II–03(03)/2018

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक, 17 मई, 2018

विषयः– वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत फल्ड प्लेन जोनिंग मद में गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण कार्यो के अध्ययन हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 1718/प्र0अ0/बजट/बी–1 (सामान्य) दिनांक 03 मई, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड "बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण" के अन्तर्गत गंगा नदी के निम्न विवरणानुसार बाढ़ परिक्षेत्रण कार्यो हेतु शासनादेश संख्या 60/2018–II–03(03)/2018 दिनांक 14 मार्च, 2018 द्वारा रू0 32.14 लाख एंव शासनादेश संख्या 136/2018– II–03(03)/2018 दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा रू0 371.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के कम में प्रश्नगत निर्माणाधीन कार्यो की अवशेष लागत रू0 400.10 लाख के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वर्ष 2017–18 तक कुल व्यय	1.04.18 को अवशेष	वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	5 संख्या नदियों का बाढ़ परिक्षेत्रण के अध्ययन कार्य।				
क	गंगोत्री से देवप्रयाग तक	66.00		66.00	
ख	देवप्रयाग से ऋषिकेश तक	55.75		55.75	
ग	भिलगना नदी के तट पर	55.75	0.00	55.75	
घ	बद्रीनाथ से देवप्रयाग	80.59		80.59	
ड़	केदारनाथ से रूद्रप्रयाग	57.07		57.07	200.00
	जी0एस0टी0 18%	56.00		56.00	
2	ऋषिकेश से भीमगौड़ा बैराज (हरिद्वार) तक गंगा नदी के बाढ़ परिक्षेत्रण के अध्ययन कार्य	32.14	3.20	28.94	
	कुल योग	403.30	3.20	400.10	

(i) प्रश्नगत कार्य हेतु **Uttarakhand Procurement Rules, 2017** के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(iii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) कार्यों के पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(vi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(vii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

(viii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपभोग दि0–31.03.2019 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कृत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य के कियान्वयन में यदि कम धनराशि व्यय होती है तो शेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।

2 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत फल्ड प्लेन जोनिंग मद के लेखाशीर्षक 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय –80–सामान्य– 800–अन्य व्यय–08–फ्लड प्लेन जोंनिग–00–42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3 यह आदेश/स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश 519/3(150)–2017/XXVII(1)/2018, दिनांक 02 अप्रैल, 2018 दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप निर्गत की जा रहीं हैं।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

सं0– 861 (1) 2018–।।–03(03)/2018तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अनु–2,/नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी देहरादून।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव।